

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां0प्र0क0-394 / 15
संस्था0दि0 14 / 07 / 2015
फाईलनं.233504000432016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

संगीताबाई पति अशोक, उम्र 31 वर्ष,
 जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि0 तोरनवाड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-07 / 10 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 28/06/15 समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी के मकान के सामने ठप्पाढाना तोरनवाड़ा, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्ग फरियादी समरलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- दिनांक 07/10/16 को फरियादी समरलाल तथा अभियुक्त संगीता का राजीनामा होने से धारा 294 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 28/06/15 के 9:30 बजे रात्रि की बात है। उसकी बहू संगीता उसकी छोटी सी गुड़िया को लेकर मायके जा रही थी तो उसने बोला इतने रात को छोटी सी गुड़िया को लेकर मत जा अभी लडका अशोक मुलताई जेल में बन्द है। इसी बात को लेकर उसे संगीता ने गंदी गंदी गालियाँ मादर चोद, बहन चोद के तू रोकने वाला कौन होता है। उसने गाली देने से मना किया जो सुनने में बहुत बुरी लग रही थी और संगीता ने उसके दांहिने हाथ के अंगूठा को दांत से काट दिया जो खून निकलकर काफी दर्द हो रहा था। पास में मोहल्ले की मुन्नी धुर्वे, हरीचरण धुर्वे एवं उसकी पत्नी मनकी खडी थी। उसने घटना की बात पुरी सुनी तथा झगडे

का बीच बचाव किया। संगीता बोल रही थी कि यदि तूने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट किया तो जान से खत्म कर दूंगी।

04— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 352/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294,323,324,34,506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 29/06/15 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी०-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 28/06/15 समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी के मकान के सामने ठप्पाढाना तोरनवाड़ा, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी समरलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी समरलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि संगीता उसकी बहू है। घटना के समय उसकी बहू बच्ची को लेकर बाहर जा रही थी उसने उसे बाहर जाने मना किया तो इसी बात से उसकी बहू ने माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी दी थी। उसने रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था। साक्षी को प्रथम सूचना रिपोर्ट का ए से ए भाग पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर साक्षी ने दांत से काटने वाली बात छोड़कर अन्य बात लेख करना व्यक्त किया है। पुलिस जांच करने मौके पर आई थी। पुलिस ने मौका नक्शा प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपिया ने उसे दांहिने

हाथ के अंगूठे में काट लिया था जिससे चोट लगकर खून निकला था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र०पी० 3 का ए से ए भाग का कथन लेख करवाया था।

08— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि फरियादी समरलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०द०वि० की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी समरलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी समरलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त संगीताबाई को भा०द०वि० की धारा-324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०